डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था कुड़ल

संघ विधान पत्र

1- संस्था का नाम — इस संस्था का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति कुड़ल समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2- पंजीकृत कार्यालय तथा इसका कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय कुड़ल तहसील सिवाना (बाड़मेर) तथा इसका कार्यक्षेत्र बाड़मेर जिला तक सीमित होगा।

3- संस्था के उद्देश्य

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. समता, लोकतंत्र, एवं अहिंसा एवं सद्भावना के मूल्यों वाले समाज का निर्माण करना
2. साक्षरता एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
3. सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना।
4. ग्रामीण समुदाय खासतौर से युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना एवं साहसिक भावना का विकास करना।
5. अनुशासन, स्वावलम्बन, सहयोग, स्वयं सेवा की भावना उत्पन्न करना।
6. पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण, लिंग समानता एड्स एवं रोग नियन्त्रण, महिला सशक्तिकरण, उन्नत कृषि, बागवानी सम्पूर्ण स्वच्छता एवं लोगों को अधिकारों के प्रति जागृत करने का कार्य करना।
7. जैव विविधता एवं खासतौर से वन्य प्राणी संरक्षण करना।
8. दलितोत्थान एवं सामाजिक सुधार कार्य।
9. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
10. सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा रखना एवं शिक्षण संस्थान खोलना।

[illegible] उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — मंत्री — कोषाध्यक्ष

NOTARY
MADANDAS RAMAWAT
ADVOCATE
SIWANA
BARMER
R.N. 1252
GOVT. OF RAJASTHAN

As per PHPTO-STATE
TRUE-COPY
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
SIWANA

4- संस्थान के कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	अजीजखाँ s/o बाबूखान	खेती	VIP कुण्डल	[signature] अध्यक्ष
2	फूलाराम s/o भीमाराम	अध्यापन	रेलो की ढाणी कुण्डल	सचिव
3	भीमाराम s/o सोनाराम	अध्यापन	— " —	कोषाध्यक्ष
4	मोहनलाल s/o मानाराम	— " —	— " —	9828606884 उपाध्यक्ष
5	लिखमाराम s/o मिसराराम	खेती	कुण्डल	सहायक उपा. सचिव
6	भकताराम s/o उदाराम	अध्यापन	रेलो की ढाणी	सदस्य
7	हनिफखां s/o सुबेखान	दुकानदार	कुण्डल	"
8	जगदीशप्रसाद s/o प्रतापाराम	खेती	शीमादे नगर	" –
9	प्रियुषकुमार s/o मोहनलाल	अध्यापन	कुण्डल	"
10	खीमाराम s/o राणाराम	खेती	रेलो की ढाणी	सदस्य
11	अन्नाराम s/o मानाराम	"	कुण्डल	" –

[seal]

[signature]
अध्यक्ष

[signature]
मंत्री

NOTARY
GOVT. OF RAJASTHAN

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने को इच्छुक है :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1-	अलीअख्खां S/. बाबूखान	खेती	ग्रा. कुण्डल	[signature]
2-	चुतराराम S/. भीमाराम	अध्यापन	रेलो की ढाणी	[signature]
3-	भीमाराम S/. सोनाराम	"	"	[signature]
4-	मोहनलाल S/. मानाराम	—	—	[signature]
5-	भक्तराम S/. ऊदाराम	—	—	[signature]
6-	कालूराम S/. केनाराम	खेती	रे —	[signature]
7-	अर्जुनराम S/. देमाराम	"	—	[signature]
8-	खीमाराम S/. राणाराम	"	—	[signature]
9-	खीमाराम S/. रगाराम	"	—	[signature]
10-	भटकाराम S/. रदाराम	"	—	[signature]
11-	भक्ताराम S/. मोहनाराम	"	—	[signature]
12-	सोनाराम S/. नरसाराम	"	—	[signature]
13-	लुम्बाराम S/. जीवाराम	"	कुण्डल	[signature]
14-	रामाराम S/. लच्छाराम	"	"	[signature]
15-	हनिफखां S/. समसुद्दीन	दुकानदार	"	[signature]
16-	अनाराम S/. मानाराम	खेती	"	[signature]
17-	लिखमाराम S/. मिसराराम	"	"	[signature]
18-	पियुषकुमार S/. मोहनलाल	अध्यापन	"	[signature]
19-	लालनलाल S/. रामाराम	उपसरपंच	रेलो की ढाणी	[signature]
20-	जगदीशप्रसाद S/. प्रतापाराम	खेती	श्यामदे नगर	[signature]

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओ को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है, हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) प्रधानाध्यापक रा.मा.वि. ...
राजपत्रित अधिकारी

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) ओमप्रकाश प्रधानाध्यापक
राजपत्रित अधिकारी

अध्यक्ष

मंत्री

NOTARY GOVT. RAJASTHAN
MADANDAS RAMAWAT ADVOCATE

PHOTO-STATE TRUE-COPY ATTESTED
NOTARY PUBLIC

2 ... 5/7/9 ...

रजिस्ट्रार स...ी, बाड़मेर

NOTARY
GOVT. OF RAJASTHAN
MADANDAS RAMAWAT
ADVOCATE
R.N. 125

As per PHOTO-STATE
TRUE-COPY
ATTESTED
Madandas
NOTARY PUBLIC
SIWANA
13-12-2016

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1- संस्था का नाम — इस संस्था का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2- पंजीकृत कार्यालय तथा इसका कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ..कुण्डल... तह. मेवात तथा इसका कार्यक्षेत्र छोंकर ब्लॉक जिला सीमित होगा।

3- संस्था के उद्देश्य — इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1 समता, लोकतन्त्र एवं अहिंसा एवं सद्भावना के मूल्यों वाले समाज का निर्माण करना।
2 साक्षरता योजनाओं को ~~आमजन~~ प्रोत्साहित करना।
3 सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना।
4 ग्रामीण समुदाय खासतौर से युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना तथा साहसिक भावना का विकास करना।
5 अनुशासन, स्वालम्बन, सहयोग, स्वयं सेवा की भावना उत्पन्न करना।
6 पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण लिंग समानता एड्स रोग नियन्त्रण, महिला सशक्तिकरण, उन्नत कृषि, बागवानी सम्पूर्ण स्वच्छता एवं लोगों को अधिकारों के प्रति जागृत करने का कार्य।
7 बहुजैव विविधता एवं खास तौर से वन्य प्राणी संरक्षण करना।
8 दलितोत्थान एवं सामाजिक सुधार कार्य।
9 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
10 सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा रखना एवं शिक्षण संस्थान खोलना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4- **सदस्यता**

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेगें :-

1- संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो।
2- बालिग हो।
3- पागल दिवालिया न हो।
4- संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।
5- संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हो।

5- **सदस्यों का वर्गीकरण**

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें :-

1- संरक्षक 2- विशिष्ठ
3- सम्माननीय 4- साधारण
(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

6- **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा**

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1- संरक्षक — राशि — वार्षिक/आजन्म
2- विशिष्ठ — राशि — वार्षिक/आजन्म
3- सम्माननीय — राशि — वार्षिक
4- साधारण २१/— राशि — वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू० २१/- वार्षिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7- **सदस्यता से निष्कासन**

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1- मृत्यु होने पर।
2- त्यागपत्र देने पर।
3- संस्था के उद्देश्य के विपरित कार्य करने पर।
4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

8- **साधारण सभा**

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

9- **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य**

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होगें :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2- वार्षिक बजट पारित करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

NOTARY • GOVT. OF RAJASTHAN • MADANDAS RAMAWAT ADVOCATE

As per PHPTO-STATE TRUE-COPY ATTESTED NOTARY PUBLIC

10- साधारण सभा की बैठकें

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई तीन सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।

11- कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होगें :-

1- अध्यक्ष - एक 2- उपाध्यक्ष- एक
3- मंत्री ~~सचिव~~ - एक 4- कोषाध्यक्ष-एक
5- सदस्य - सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम करें।)

इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में 04 पदाधिकारी व 7 सदस्य कुल 11 सदस्य होगें।

12- कार्यकारिणी का निर्वाचन

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की निर्वाचन अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

GOVT. OF RAJASTHAN • NOTARY •

as per PHOTO-STATE TRUE-COPY ATTESTED NOTARY PUB.

13- कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2- वार्षिक बजट तैयार करना।
3- संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना।
5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14- कार्यकारिणी की बैठकें

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2- बैठक का कोरम प्रवन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व में दी जायेगी तथा अतिआवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय मे भी दी जा सकती है।
4- कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15- प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें :-

1- <u>अध्यक्ष</u>

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3- बैठकें आहूत करना।
4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

अध्यक्ष | मंत्री | वरिष्ठ उपाध्यक्ष

GOVT. OF RAJASTHAN • NOTARY •

As per PHOTO-STATE TRUE-COPY ATTESTED
NOTARY PUBLIC
SIWANA

2- उपाध्यक्ष

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- ~~मंत्री~~ सचिव

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण रखना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना तथा उनके वेतन या यात्रा व्यय आदि बिल पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4- ~~उपमंत्री~~ उपसचिव

1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रवन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जाए।

5- कोषाध्यक्ष

1- वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा।

2- शुल्क।

3- अनुदान

4- सहायता।

5- राजकीय अनुदान।

उक्त प्रकार से संचित राशि राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN
As per PHPTO-STATE TRUE-COPY ATTESTED NOTARY PUBLIC

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17-	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार	संस्था के हित में तथा कार्य व उस समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेगें। 1- अध्यक्ष ...5000.रूपये 2- मंत्री 5000.रूपये 3- कोषाध्यक्ष 5000.रूपये उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से करवाया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।
18-	संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवर्ष चार्टड एकाउन्टेट द्वारा कराया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रार, संस्थाऐं, बाड़मेर को प्रेषित किया जायेगा।
19-	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20-	संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21-	[illegible]	रजिस्ट्रार संस्थाएं, बाड़मेर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा किये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्राम शिक्षा एवं विकास समिति ...समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

NOTARY OF RAJASTHAN

As per PHPTO-STATE TRUE COPY

Madandas

NOTARY PUBLIC